देवाराम V/s रामूराम 01/18RP

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश अनुपालन संक्षिप्त
30/3/20	बाबूलाल उपस्थित वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-251 A स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर	

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 01/2018

प्रार्थी :–

1. घेवरराम पुत्र मंगलाराम
   जाति–जाट निवासी रूपासर तहसील व जिला–नागौर (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रामुराम पुत्र धन्नाराम
   जाति खाती निवासीगण–नराधना, तहसील जायल जिला–नागौर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री जीयाराम गोदारा प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री शिवकुमार पाराशर अप्रार्थीगण 1 की ओर से।

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी के खेत खसरा नं. 414 रकबा 11.13 बीघा मौजा नराधना तहसील जायल में आया हुआ है। प्रार्थी का आना जाना अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 415 व खसरा नं 418 (पायतन) से संलग्न नक्शा अनुसार मार्क "ए से बी" होता रहा है। जिसको अप्रार्थी ने बंद कर दिया है। जिसे माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए. से बी. की तरफ 125 फीट लम्बाई व 12 फीट चौड़ाई का प्रार्थी के खेत खसरा नं. 414 में आने जाने के लिए रास्ता दिलाया जावे जिसके बदले में प्रतिफल राशि प्रार्थी वहन करने के लिए सहमत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवकुमार पाराशर ने वकालातनामा तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल मिशल है। तहसीलदार जायल को हस्तगस्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2020 को प्राप्त की गई। तहसीलदार जायल ने मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए सबसे नजदीकी फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2020 में दर्शाये नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी होना बताया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते की दूरी सबसे नजदीक है जिसकी दूरी 224 फीट होना, इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना, प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रस्तावित रास्ते हेतु भूमि की डी.एल.सी. दर 19602/–है।

30/9/2020
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के संबंध में जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील अप्रार्थीगण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में से आंशिक पैरा सहीं होना तथा शेष समस्त पैराज मिथ्या, मनगढ़त, गलत होने से अस्वीकार करते हुये बताया कि प्रार्थी के खेत में जाने के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 418 में से कभी रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थी का उक्त रास्ते के संबंध में किये गये कथन सर्वथा गलत है, जबकि प्रार्थी का आना खेत खसरा नं. 422 में से सींव–सींव रहा है। साथ ही अप्रार्थी का खेत खसरा नं. 418 कैनरा बैंक नागौर के रहन दर्ज है जिसको प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का मिथ्या, गलत मनगढ़त तथा बनावटी तथ्य पेश करने के कारण खारिज किया जावे। वकुलाय की सहमति पर प्रकरण में बहस हेतु तारीख नियत की गई।

नियत तारीख पेशी पर बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज का पुनः दोहरान करते हुये तथा प्रार्थी के खातेदारी, कब्जा सुदा खेत खसरा नं. 414 में कृषि कार्य करने हेतु आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से तथा अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 418 में से प्रार्थना पत्र के अनुसार मार्क ए. से बी तथा मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल के अनुसार मार्क सी. से डी. के माफिक 0.10 बीघा रास्ता उपलब्ध कराया जावे जिसके एवज में नियमानुसार अप्रार्थीगण को मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थी वहन करने के लिए तैयार है।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस दलीलें पेश करते हुये हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों/पैराज का खण्डन करते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनगढ़त तथा गलत होने से अस्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी को खातेदारी के खेत में कृषि कार्य हेतु आने जाने अथवा कृषि प्रयोजनार्थ संसाधनो के लाने व ले जाने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, जबकि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 414 में आने जाने के लिए खसरा नं. 422 में से आना जाना रहा है, तथा उक्त रास्ता वर्तमान उपलब्ध है तथा चालू है, तथा अधिक सुविधाजनक भी है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 251क काबिले खारिज होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र हर्जा खर्चा सहित खारिज किया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया। साथ ही वकुलाय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी पक्ष की पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2020 का अवलोकन किया। नजरी नक्शा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए की मंशा के अनुसार किसी एक खातेदार काश्तकार भी स्थान विशेष की भूमि में से रास्ता दिये जाने का प्रावधान नहीं होकर जहां तक संभव हो प्रार्थी के खेत तक लगने वाली आस पास के खेतो के दोनो तरफ की सींव–सींव पर रास्ता प्रस्तावित किया जाना चाहिऐ था जिससे किसी एक खातेदार काश्त कार की भूमि खुर्द बुर्द न हो। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदार की भूमि में से ही रास्ता चाहा है जबकि खसरा नं. 422 व

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर
30/9/2020

Scanned with CamScanner

415 की सींव–2 पर रास्ता प्रस्तावित किया जाना चाहिऐ था ताकि किसी एक खातेदार की भूमि खुर्द–बुर्द न हो तथा नई सींव कायम किये जाने के आसार उत्पन्न न हो।

अतः प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी के खेत खसरा नं. 414 में आने जाने के लिए रास्ता हेतु चाही गई भूमि के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251ए खसरा नं. 422 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाकर केवल खसरा नं. 415 की स्थान विशेष की भूमि में से चाहा गया तथा प्रस्तावित रास्ता मुख्य सड़क मार्ग से नहीं चाहकर केवल नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ''ए से बी'' ही चाहा गया, इससे आगे प्रार्थी किस रास्ते से आगे आना जाना करेगा यह स्पष्ट नहीं नहीं होने से तथा खसरा नं. 418 की भूमि गैर मुमकिन नाडी तथा राज्य सरकार से प्रतिबंधीत श्रेणी होने के कारण किसी भी काश्तकार व खातेदार को प्रतिबंधीत श्रेणी की भूमि में से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ स्वयं आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध नहीं कर पाने के कारण तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मुख्य सड़क मार्ग से नहीं चाहकर केवल नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ''ए से बी'' ही चाहा गया, इससे आगे प्रार्थी किस रास्ते से आगे आना जाना करेगा यह अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया है, तथा खसरा नं. 418 की भूमि गैर मुमकिन नाडी तथा राज्य सरकार से प्रतिबंधीत श्रेणी की भूमि है। जिसमें किसी भी काश्तकार व खातेदार को रास्ता नहीं स्वीकृत किया जा सकता है। अतः मौजा नराधना तहसील जायल के खसरा नं. 415 में से प्रार्थी के खेत खसरा नं. 414 हेतु प्रस्तावित रास्ता मार्क ए से बी के संबंध में मुख्य सड़क मार्ग से नहीं चाहे जाने तथा खसरा नं. 418 की भूमि राज्य सरकार से प्रतिबंधीत भूमि होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30/9/2020 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

30/9/2020

(स्वीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner